प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-1

(फरवरी 2019 सत्र)

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(जुलाई 2019 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-1

फरवरी, 2019 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय

2019

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री एम.एल. मनवानी	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार फरवरी 2019 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [...........] दर्शाया गया है.

भोपाल :

दिनांक : 01 जुलाई, 2019

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2019 सत्र	--	--	1-4
2.	फरवरी, 2019 सत्र से संबंधित परिशिष्ट	--	--	5-9
3.	फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये शेष अपूर्ण उत्तरों की सूची	--	--	10-12

फरवरी, 2019 सत्र

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

1. अता. प्र. सं. 7 (क्र. 18) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संचालक राज्य स्तरीय रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र पिछड़ा वर्ग अल्प संख्यक कल्याण विभाग भोपाल द्वारा वर्ष 2014 से 2017 तक प्रदेश में किन जिलों में किन-किन शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया? **(ख)** वर्ष 2014 से 2017 तक रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली में किन-किन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और उसमें किस जिले में कितनी राशि खर्च हुई? इस हेतु किस-किस संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ग)** रोजगार प्रशिक्षण उपरान्त किन-किन संस्थाओं और फर्मों में रोजगार उपलब्ध कराया गया? उसकी सूची के साथ ही उनके दूरभाष व पोस्टल पता उपलब्ध कराते हुऐ प्राप्त वेतन की जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** पूरे प्रदेश में कुल कितनी राशि खर्च की जाकर कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया गया और प्रशिक्षण ले रहे छात्र-छात्राओं का सत्यापन किस अधिकारी के द्वारा किया गया?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री (श्री आरिफ अक़ील) : [(क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** से **(घ)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 से 04 अनुसार** है।

छिंदवाड़ा जिलें में वृक्षारोपण की योजना

2. अता. प्र. सं. 27 (क्र. 249) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभिन्न विभागों एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा सड़कों के दोनों ओर वर्ष 2014 से कितनी लम्बाई में छिन्दवाड़ा जिला एवं मध्यप्रदेश में कितने पौधे लगाये गये एवं उस पर कितनी राशि व्यय की गई, वर्तमान जीवित में प्रतिशितता एवं औसत उचाई क्या है? **(ख)** जुन्नारदेव विधानसभा की निर्मित सड़कों पर अगले वित्तीय वर्ष में कितना-कितना वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है? **(ग)** जुन्नारदेव विधानसभा में पेंच, कन्हान, तवा, देनवा दुधी नदी का उदगम स्थल के दोनों ओर पर्यावरण संरक्षा हेतु वृहद वृक्षारोपरण की योजना कब तक बनायी जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री तरूण भनोत) : [(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वृक्षारोपण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। **(ग)** प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा प्रश्नों के उत्तर एवं कार्यवाही

3. ता. प्र. सं. 16 (क्र. 352) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 06.12.2016 को प्रस्तुत प्रश्न क्रमांक 1397 के उत्तरानुसार शासनादेशों के पालन में कोई अनियमितता अथवा निर्देशों का उल्लंघन होना पाया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या कटनी जिले में विभागीय पत्र दिनांक 04.02.2016 के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाना सत्यापित किया जायेगा? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5628 में उल्लेखित विभागीय पत्रों के पालनार्थ प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के बिन्दुओं पर विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही कर निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो विवरण बतायें? यदि नहीं तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभागीय पत्र दिनांक 04.02.2016 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.12.2015 एवं 10.05.2016 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं के मैन्युअल अद्यतन करने एवं समस्त परिपत्र स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश समस्त विभागों को जारी किए गए हैं।

पृथक् वितरित

सहकारिता समितियों के संचालन में अनियमितता

4. परि. अता. प्र. सं. 41 (क्र. 353) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधान सभा प्रश्न क्रमांक 716, दिनांक 05/12/2016 के प्रश्नांश (क) का उत्तर दोषियों से वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं विभागीय जांच उपरांत सेवा नियमों के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकेगा, दिया गया था, तो क्या दोषियों से राशि वसूलकर दंडित किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूली गई एवं क्या दण्ड दिया गया? कर्मचारीवार बतायें। यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या कटनी जिले में सहकारी समितियों के द्वारा वितरित ऋण के प्रकरणों में अनियमितता की जांच हेतु कलेक्टर कटनी द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता कटनी के नेतृत्व में जांच दल गठित कर जांच के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किन बिन्दुओं पर किस प्रकार जांच की जानी थी? जांच के क्या परिणाम रहे और क्या कार्यवाही की गई? समितिवार बतायें। **(ग)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत कटनी जिले में कितने किसानों द्वारा दिनांक 05.02.2019 तक कितने गुलाबी आवेदन फार्म जिमा किये गये हैं? समितिवार, ग्रामवार, संख्यात्मक जानकारी बताएं? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत सिद्ध होने पर भी राशि की वसूली न होने, दंडित न करने एवं ऋण राशि में घोटाला करने के लिये क्या उच्च स्तरीय जांच दल से जांच करायी जाकर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि न तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [**(क)** जी हाँ, दोषियों को राशि वसूली का दण्ड दिया गया है। समितिवार एवं कर्मचारीवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, जरवाही के किसानों के खाते में कूट रचित कर फर्जीवाड़ा करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर कटनी द्वारा तीन सदस्यीय जांचदल बनाया गया है। जांचदल के अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 24.01.2019 को अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** उत्तरांश 'क' एवं 'ख' अनुसार कार्यवाही की जा रही है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ग)** उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कटनी से प्राप्त जानकारी अनुसार कृषकों द्वारा 5721 गुलाबी आवेदन फार्म जमा किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

5. अता. प्र. सं. 41 (क्र. 384) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? उनमें पात्रता की क्या-क्या शर्तें हैं? योजनावार पूर्ण विवरण दें। **(ख)** दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से जनवरी 2019 तक रायसेन जिले में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? **(ग)** दिनांक 20 जनवरी, 2019 की स्थिति में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र के योजनावार कितने आवेदन पत्र किस स्तर पर क्यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? **(घ)** प्रश्नांश (ग) वर्णित क्षेत्र के उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र क्यों निरस्त किये गये? संबंधित को सूचना क्यों नहीं दी गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (तुलसीराम सिलावट) : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नावधि में कुल 56509 हितग्राही

लाभान्वित हुये। योजनावार लाभान्वितों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना के 37 हितग्राही के प्रकरण बैंक खाते की जानकारी अपूर्ण होने के कारण भुगतान हेतु विकासखण्ड स्तर पर लंबित है। हितग्राहियों से बैंक खाते का विवरण प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना अंतर्गत पात्रता शर्तें पूर्ण न करने के कारण 96 हितग्राहियों के आवेदन निरस्त किये गये। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से संबंधितों को सूचना दी गई है।

अनैतिक ड्रग ट्रायल के जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्यवाही

6. परि. अता. प्र. सं. 53 (क्र. 442) श्री मनोज चावला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2005 से 2010 के बीच मेडिकल कालेज के जिन डॉक्टरों ने अनैतिक ड्रग ट्रायल किया उनके नाम बतावें तथा बतावें कि वर्तमान में किस-किस पद पर कार्यरत हैं तथा ड्रग ट्रायल की जांच हेतु गठित विभागीय समिति ने मार्च-अप्रैल 2012 में जो आरोप पत्र दिया, उसकी प्रतियां देवें। **(ख)** क्या अनैतिक ड्रग ट्रायल के लिये जिम्मेदार डॉक्टरों के EOW जांच में यह पाया गया कि उन्होंने बिना अनुमति कंपनियों से लाभ प्राप्त किया, विदेश यात्रा की तथा शासकीय सेवक के नियमों का उल्लंघन किया, यदि हाँ, तो इन्हें पद से निलंबित क्यों नहीं किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभागीय जांच किस दिनांक को प्रारंभ हुई तथा उसने अपनी रिपोर्ट किस दिनांक को प्रस्तुत की? अंतिम रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि निलंबन किये बिना जांच करना क्या न्यायोचित था? **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ड्रग ट्रायल में पीड़ित तथा मृत बच्चे मनोरोगी किशोरवय की बच्चियों आदि कि संख्या बतावें तथा बतावें कि उन्हें कितना-कितना मुआवजा दिया गया। **(ड.)** क्या एम.सी.आई. ने इनका पंजीयन निरस्त कर दिया था? यदि हाँ, तो इन्होंने उच्च न्यायालय से कब स्थगन प्राप्त किया तथा अभी तक उस स्थगन को निरस्त क्यों नहीं करवाया गया?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) से (ड.) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, इन्दौर के चिकित्सा शिक्षकों द्वारा किए गए ड्रग ट्रायल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। अपचारी शासकीय चिकित्सा शिक्षकों को शासन द्वारा जारी किए गए आरोप-पत्रों की प्रतियॉं **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर** है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही की अधिकारिता स्वशासी समिति के क्षेत्राधिकार में होने से उन्हें शासन द्वारा आरोपपत्र जारी नहीं किए गए। **(ख)** आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जॉंच में ड्रग ट्रायल को आपराधिक कृत्य नहीं पाते हुए अनियमितता का कृत्य पाया है। अपचारी चिकित्सा शिक्षकों के कार्यरत रहने से विभागीय जॉंच पर विपरीत प्रभाव की संभावना नहीं होने तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक होने से निलम्बन नहीं किया गया। **(ग)** विभिन्न तिथियों में यथा दिनांक 05.09.2012, 26.12.2012 एवं 05.02.2013 को आरोप पत्र जारी किए जाकर विभागीय जॉंच संस्थित की गई। जॉंचकर्ता अधिकारी ने जॉंच प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2016 को प्रस्तुत किया। जॉंच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' पर** है। निलंबन संबंधी जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार है। **(घ)** ड्रग ट्रायल से किसी मरीज पर विपरीत प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते है। **(ड.)** भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिनांक 26.07.2017 को प्रश्नाधीन चिकित्सा शिक्षकों का नाम इंडियन मेडिकल रजिस्टर से 3 माह के लिए हटाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश को मान. उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.06.2018 को निरस्त कर दिया। इंडियन मेडिकल रजिस्टर राज्य शासन अथवा मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अनैतिक, गैरकानूनी तथा बिना सक्षम अनुमति के ड्रग ट्रायल्स

7. परि. अता. प्र. सं. 70 (क्र. 530) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में पिछले दस वर्षों से निजी और शासकीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा अनैतिक, गैरकानूनी तथा बिना सक्षम अनुमति के मरीजों पर ड्रग ट्रायल्स किये जाने की जानकारी विभाग के संज्ञान में है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन डॉक्टरों पर विभागीय स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? उस दौरान उनकी नियुक्ति किस जगह किस पद पर थी और आज वे किस पद पर कहां कार्यरत हैं या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है? यदि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) में जिन मरीजों पर ड्रग ट्रायल्स हुआ, उनकी संख्या कुल कितनी है? उनमें से कितने मृत हुए तथा कितने गंभीर रुप से प्रभावित हुए? क्या पिछले दस वर्षों में शासन स्तर पर उन मरीजों का अध्ययन किया गया कि ड्रग ट्रायल्स से उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि नहीं किया गया तो क्या अब करवाया जायेगा? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित किस मरीज को कितना-कितना मुआवजा दिया गया तथा जिस कंपनी की जिस दवा का ड्रग ट्रायल्स किया गया, उनका नाम बतायें तथा जिस दवा का ट्रायल्स किया वह किस बीमारी से संबंधित थी तथा ड्रग ट्रायल्स करने वाले डॉक्टरों की यदि EOW (Economic Offences Wing) से जांच कराई गई तो उसकी जानकारी दें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इन्दौर के चिकित्सा शिक्षकों द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2011-12 के दौरान किये गये ड्रग ट्रायल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** पर है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। ड्रग ट्रायल आपराधिक कृत्य नहीं होकर अनियमितता का अपचार होने के कारण बर्खास्त करने का औचित्य नहीं है। **(ग)** कुल 9282 मरीज पर ड्रग ट्रायल किया गया। किसी के मृत अथवा गंभीर रूप से प्रभावित होने की स्थिति नहीं है। शासन स्तर से अध्ययन नहीं कराया गया। जी नहीं। **(घ)** किसी मरीज पर विपरीत प्रभाव नहीं होने से मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जॉच में ड्रग ट्रायल आपराधिक कृत्य नहीं पाते हुए अनियमितता का कृत्य पाया है।

लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्यापन

8. ता. प्र. सं. 2 (क्र. 537) श्री विक्रम सिंह (विक्की) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही सम्मान निधि वितरित करने के आदेश प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्षों को दिये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक कितने लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्यापन हो गया है एवं कितने का भौतिक सत्यापन करना शेष रह गया है, जिलेवार संख्या बतावें?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [**(क)** जी हॉ **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

लोकतंत्र सेनानियों की संख्या

9. अता. प्र. सं. 85 (क्र. 538) श्री विक्रम सिंह (विक्की) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कुल कितने लोकतंत्र सेनानी हैं, जिलेवार संख्या बतायें? **(ख)** इन लोकतंत्र सेनानियों में कितने पुरूष लोकतंत्र सेनानी एवं कितनी महिलाएं लोकतंत्र सेनानी हैं, जिलेवार अलग-अलग संख्या बताएं?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एवं **(ख)** **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

टीकमगढ़ जिले के किसानों की कर्जा माफी

10. परि. अता. प्र. सं. 69 (क्र. 561) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले के कितने किसानों ने जनवरी, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितना कर्ज लिया था संख्या बतायें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर कितने किसानों की कितनी राशि का कर्ज माफ कर दिया गया हैं? संख्या बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर शेष किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर जिन किसानों ने इसी समयावधि में राशि, डिफाल्टर होने से बचने हेतु जमा कर दी है, वह राशि किसानों को वापिस की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कर्जमाफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' अनुसार। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है।] **(क)** टीकमगढ़ जिले में किसानों द्वारा जनवरी, 2016 से प्रश्न दिनांक तक राशि 51519.00 लाख का 137787 किसानों द्वारा कर्जा लिया गया था।

भिण्ड जिले में अवैध उत्खनन

11. परि. अता. प्र. सं. 71 (क्र. 565) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या खनिज साधन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले में दिनांक 01.04.2015 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण बनाये गये हैं? प्रकरणवार, दिनांकवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में क्या यह जांच की गई कि क्या अवैध उत्खननकर्ता एवं परिवहनकर्ता इस तरह का कृत्य कब से कर रहे हैं और शासन को रॉयल्टी की कितनी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकरणों में यह सिद्ध हो चुका है कि अवैध उत्खनन हुआ है, उसमें क्या अर्थदण्ड सहित रॉयल्टी की वसूली की गई? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नावधि में अवैध उत्खनन एवं परिवहन एवं ओवर लोडिंग की शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतकर्तावार एवं कार्यवाहीवार जानकारी दें।

खनिज साधन मंत्री (श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'** पर दर्शित है। **(ख)** जिले में समय-समय पर जांच के दौरान पाये जाने पर संबंधित अवैध उत्खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने के उद्देश्य से प्रकरण तैयार किये जाते हैं। प्रकरणों में प्रस्तावित अर्थदण्ड देय रॉयल्टी से अधिक होता है। अर्थदण्ड आरोपित होने के उपरांत अर्थदण्ड राशि वसूलने की कार्यवाही भी की जाती है। अतः शेष का प्रश्न ही उदभूत नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** पर दर्शित है। अवैध उत्खनन के प्रकरणों में अर्थदण्ड आरोपित करने के उपरांत अर्थदण्ड वसूलने के प्रावधान हैं। अतः शेष का प्रश्न ही उदभूत नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स'** पर दर्शित है।

पृथक् वितरित